राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1215/2020	अवनीश तायल	1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 5. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 6. शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवासन, राजस्थान सरकार, जयपुर। 7. शासन सचिव, जयपुर विद्युत वितरण नि.लि. जयपुर। 8. शासन सचिव, अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. जयपुर। 9. शासन सचिव, जोधपुर विद्युत वितरण नि.लि. जयपुर। 10. शासन सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान सरकार, जयपुर। 11. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर 12. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर। 13. सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर। 14. निर्मल गहलोत, कनिष्ट अभियंता, जोधपुर।
2.	1356/2020	अनिल कुमार शुक्ला	
3.	1357/2020	विनोद कुमार उपाध्याय	
4.	1375/2020	निशा अग्रवाल	

आदेश की दिनांक : 21.08.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी संख्या–14 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण ने स्थाई वरीयता सूची दिनांक 24.07.2020 एवं स्थाई वरीयता सूची दिनांक 28.07.2020 को इस हद तक चुनौती दी है, जिसके द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थीगण के लिए यह आदेश पारित किया गया है कि अपीलार्थीगण के नाम रिव्यू डीपीसी उपरांत कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) की वरिष्ठता सूची में यथास्थान जोड़ें जायें। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण की डिग्री को वैध होना मानते हुए अपीलार्थीगण को पूर्व में कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्रीधारी) की सूची में शामिल किया

गया था, परंतु बाद में अपीलार्थीगण को पुनः डिप्लोमाधारी की सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, जो उचित नहीं है। अपीलार्थीगण ने सहायक अभियंता (डिग्रीधारी) की सूची से नाम नहीं हटाने व सहायक अभियंता (डिग्रीधारी) के पद पर पदोन्नति के रूप में दिए गए लाभ से वंचित नहीं किए जाने की प्रार्थना की है।

2. सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1215/2020 अवनीश तायल बनाम शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे हैं। अपीलार्थी अवनीश तायल ने यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलर्थी की नियुक्ति सहायक अभियंता (डिप्लोमाधारी) के रूप में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में आदेश दिनांक 04.04.1998 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी अवनीश तायल को आदेश दिनांक 16.06.2009 के द्वारा स्थाई किया गया था। अपने पदस्थापना के दौरान अपीलार्थी अवनीश तायल ने सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से करने हेतु विभाग से अनुमति चाही थी, जिसके तहत विभाग ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2010 के तहत अपीलार्थी को सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की थी। अपीलार्थी अवनीश तायल ने विश्वविद्यालय जनार्द्धन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय, उदयपुर में दूरस्थ शिक्षा हेतु सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि हेतु वर्ष 2010 में उपरोक्त कोर्स में प्रवेश लिया एवं वर्ष 2012 में सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उपरोक्त डिग्री प्राप्त करने के उपरांत अपीलार्थी अवनीश तायल ने विभाग के समक्ष डिग्री प्रस्तुत की, जिसमें विभाग ने विश्वविद्यालय से डिग्री का सत्यापन कराकर एवं उसके उपरांत अपीलार्थी अवनीश तायल का नाम सिविल आदेश दिनांक 23.11.2012 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिप्लोमाधारी) से कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्रीधारी) की सूची हस्तांतरित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.04.2013 के द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्रीधारी) से सहायक अभियंता सिविल (डिग्रीधारी) के पद पर वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की। विभाग ने बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2020 (अनुलग्नक–22) एवं 28.07.2020 (अनुलग्नक–23) पारित कर अपीलार्थी के संदर्भ में यह अंकित किया कि अपीलार्थी को पुनः कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) की सूची में रिव्यू डीपीसी के उपरांत जोड़ा जाएगा। अपीलार्थी

के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वैध डिग्री के आधार पर कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) से कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) की सूची में शामिल किया गया और उसके बाद कनिष्ठ अभियंता (डिग्रीधारी) होना मानते हुए सहायक अभियंता (डिग्रीधारी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। अपीलार्थी की डिग्री वैध है, ऐसे में अपीलार्थी को दिया गया लाभ वापस नहीं लिया जा सकता।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण ने पूर्व में सिविल रिट याचिका संख्या 7635/**2015 अवनीश तायल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त विवाद बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 24.10.2018 पारित कर निम्न प्रकार से आदेश पारित किया था :–

> "Accordingly, this writ petition is disposed of with the direction to the State Government to examine the case of each of the candidate individually in terms of the direction of the Apex Court as noted above and those candidates who have obtained qualification through distance education after 2005-06, those from 2006-07 onwards, their degrees in engineering shall stand canceled and the students/candidates would be entitled to get refunded from the concerned deemed universities. In view thereof, if any person has been granted promotion on the basis of such qualification, which has been acquired after year 2005-06, the promotion shall be recalled and for others, promotion shall continue.
>
> accordingly the said observations, writ petition is disposed of Accordingly"

5. अपीलार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को खंडपीठ में डी.बी. स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 87/2019 में चुनौती दी है। खंडपीठ ने उक्त अपील में आदेश दिनांक 06.03.2019 में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया :–

> "Perusal of the order passed by the Supreme Court in Orissa Lift Irrigation Corporation Ltd., supra, indicates that the Supreme Court in that case held that the Technical education leading to the award of degrees in Engineering consists of imparting of lessons in theory as well as practicals. The practicals form the backbone of such education which is hands-on approach involving actual application of

principles taught in theory under the watchful eyes of Demonstrators or Lecturers. Face to face imparting of knowledge in theory classes is to be reinforced in practical classes. The practicals, thus, constitute an integral part of the technical education system. If this established concept of imparting technical education as a qualitative norm is to be modified or altered and in a given case to be substituted by distance education learning, then as a concept the AICTE ought to have accepted it in clear terms. What parameters ought to be satisfied if the regular course of imparting technical education is in any way to be modified or altered, is for AICTE alone to decide. The Supreme Court in para 54 of the report also observed that conceptually there is some difference between the status of a University established under a State law and that of a Deemed to be University. Normally, a University is established with an idea that particular areas or districts of the State need to be catered to. Such University is expected to satisfy the needs or aspirations of people in the area for education and correspondingly empowered to initiate new courses, keeping in tune with the needs of time. The Supreme Court in para 58 of the judgement therefore finally directed as under:

> "58. The AICTE is directed to devise within one month from the date of this judgment modalities to conduct appropriate test/tests both in written examination as well as in practicals for the concerned students admitted during the academic sessions 2001-2005 covering all the concerned subjects. It is entirely left to the discretion of AICTE to come out with such modalities as it may think appropriate and the tests in that behalf shall be conducted in the National Institutes of Technology in respective States wherever the students are located. The choice may be given to the students to appear at the examination which ideally should be conducted during May- June, 2018 or on such dates as AICTE may determine. Not more than two chances be given to the concerned students and if they do not pass the test/tests their degrees shall stand recalled and cancelled. If a particular student does not wish to appear in the test/tests, the entire money deposited by such student towards tuition and other charges shall be refunded to that student by the concerned Deemed to be University within a month of the exercise of such option. The students be given time till 15th of January, 2018 to exercise such option. The entire expenditure for conducting the test/tests in respect of students who wish to undergo test/tests shall be recovered from the concerned Deemed to be Universities by 31.03.2018. If they clear the test/tests within the stipulated time, all the advantages or benefits shall be restored to the concerned candidates. We make it clear at the cost of repetition that if the concerned candidates do not clear the test/tests within the time stipulated or choose not to appear at the test/tests, their degrees in Engineering through distance education shall stand recalled and cancelled. It goes without saying that any promotion or

advancement in career on the basis of such degree shall also stand withdrawn, however any monetary benefits or advantages in that behalf shall not be recovered from them "

Perusal of the aforesaid judgement of the Supreme Court thus clearly indicate that an exception was carved out by the Supreme Court for those students, who were enrolled in the academic session 2005-06 so as to protect the degrees obtained by them, but that too was done with certain conditions. The AICTE was directed to devise within one month from the date of this judgment modalities to conduct appropriate test/tests both in written examination as well as in practicals for the concerned students admitted during the academic sessions 2001-2005 covering all the concerned subjects. The AICTE was expected to come out with such modalities as it may think appropriate and the tests in that behalf shall be conducted in the National Institute of Technology in the respective States. Not more than two chances would be given to the students concerned and if they did not pass, their degrees shall be recalled or cancelled. The cited judgement of the Supreme Court in Jawaharlal Nehru Technological University Registrar, supra, does not in any manner help the appellants, which would be evident from para 2 and 6 of the order of the Supreme Court. In para 2 thereof, the Supreme Court has noted the distinguishing features of the university, which has awarded the degrees in the aforesaid case that (1) it was a State University (2) it gave admissions in transparent manner (3) there was a contract programme and faculty was available, (4) practical work also held (5) DEC gave ex-post facto approval (5) the standards have not been compromised. And then the Supreme Court also noted that upto 2005, there were no bar for such courses being conducted even by Universities other than the State Universities. After 2009, the distance education system has been closed.

Taking note of the aforesaid distinguishing features, the Supreme Court in para 6, even though held that the view taken by the High Court is correct in law, but the diploma holder candidates upto the academic year 2009-10 may be left undisturbed. Such are not the facts of the present case because the appellants have obtained the degree of engineering from private institution, which is deemed to be a university by distance education mode.

We do not find any such distinguishing feature in the case of the appellants in the present case. The learned Single Judge, in our

view, therefore, cannot be held to have committed any error in dismissing the writ petitions.

The appeal is therefore dismissed."

6. इस प्रकार खण्डपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखा एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपीलार्थीगण की पदोन्नति को वापस लेने निर्देश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में ही आलोच्य आदेश दिनांक 28.07.2020 में निम्न प्रकार से नोट अंकित किया गया है :–

> ''माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8498/2015 में पारित आदेश दिनांक 12.10.18 में स्थगन खारिज होने के कारण क्रमसंख्या 60, 93, 98 एवं 105 पर अंकित के नाम रिव्यु डीपीसी उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमाधारी की वरिष्ठता सूची में यथास्थान जोड दिया जावेगा।
>
> उक्त स्थाई वरिष्ठता सूची पूर्व पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 2.3.13 एंद 23.3.13 की कार्यवाही को रिव्यू कर समिति की सिफारिश अनुसार सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची में यथोचित संशोधन किये जाने के अध्यधीन जारी की जाती है।''

7. इसी प्रकार का नोट दूसरे आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2020 में भी अंकित किया गया है, जो निम्न प्रकार से है :–

> ''माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8498/2015 में पारित आदेश दिनांक 12.10.18 में स्थगन खारिज होने के कारण क्रमसंख्या 59, 92, 97 एवं 104 पर अंकित के नाम रिव्यु डीपीसी उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमाधारी की वरिष्ठता सूची में यथारथान जोड दिया जावेगा।
>
> उक्त स्थाई वरिष्ठता सूची पूर्व पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 2.3.13 एंव 23.3.13 की कार्यवाही को रिव्यू कर समिति की सिफारिश अनुसार सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची में यथोचित संशोधन किये जाने के अध्यधीन जारी की जाती है।''

8. उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) की सूची में जोड़े जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में है। अपीलार्थी द्वारा उठाया गया विवाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका है। अपीलार्थीगण द्वारा पुनः उसी विवाद को उठाते हुए नये सिरे से ये अपीलें प्रस्तुत की हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अतः अपीलार्थीगण

द्वारा प्रस्तुत अपीलें हर्जा सहित खारिज की जाती हैं। प्रत्येक अपील में 10,000/– रूपये का हर्जा अधिरोपित किया जाता है। अपीलार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त हर्जे की राशि एक माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर मैट्रो प्रथम में जमा कराकर रसीद अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि एक माह के भीतर हर्जे की राशि की जमा रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार अपीलार्थीगण के वेतन से उपरोक्त हर्जे की राशि की वसूली करने हेतु सम्बन्धित डीडीओ को पत्र प्रेषित करें।

9. मूल आदेश अपील संख्या 1215/2020 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त वर्णित तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में रखी जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)